

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 जनवरी 2025—पौष 11, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2025

क्र. एफ-3-2-2021-1-दस.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संभागीय सतर्कता समिति, उज्जैन में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये नियुक्ति प्रदान करता है।

क्र. एफ-3-8-2020-1-दस.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अरुण सिंह तोमर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संभागीय सतर्कता समिति, ग्वालियर में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये नियुक्ति प्रदान करता है।

क्र. एफ-3-11-2021-1-दस.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री जुगल किशोर दीक्षित, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को संभागीय सतर्कता समिति, सागर में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये नियुक्ति प्रदान करता है।

क्र. एफ-1598820-2023-1-दस.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राजेन्द्र कुमार गौतम, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संभागीय सतर्कता समिति, भोपाल में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये नियुक्ति प्रदान करता है।

क्र. एफ-2153738-2024-1-दस.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री रमेश प्रसाद ठाकुर, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संभागीय सतर्कता समिति, सागर में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये नियुक्ति प्रदान करता है।

क्र. एफ-3-4-2018-1-दस.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री हेमन्त कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक को संभागीय सतर्कता समिति, रीवा में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये नियुक्ति प्रदान करता है।

क्र. एफ-3-3-2021-1-दस.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री रामप्रकाश कर्तरौलिया, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संभागीय सतर्कता समिति, ग्वालियर में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये नियुक्ति प्रदान करता है।

क्र. एफ-3-5-2020-1-दस.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती सरिता सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संभागीय सतर्कता समिति, इन्दौर में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये नियुक्ति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव।